

न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)
(समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

आपराधिक प्र.क्र.: 830/2014

संस्थित दि: 11/09/2014

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियोगी

विरुद्ध

मदनलाल पिता भूरेलाल पंचतिलक उम्र 35 साल, जाति मरार,
निवासी पोण्डी थाना परसवाड़ा, जिला बालाघाट (म.प्र.) — — — — — आरोपी

—:: उर्पापण — आदेश ::—

(आज दिनांक 25/09/2014 को उर्पार्षित किया गया)

(01) इस आदेश द्वारा प्रकरण के उर्पापण पर विचार किया जा रहा है ।

(02) प्रकरण में आरोपी जमानत पर है ।

(03) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादिया शान्तिबाई ने दिनांक 15.08.2014 को आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा में एक लिखित शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया । आवेदन पत्र क्रमांक 104/14 की जांच एवं शान्तिबाई, भोलाराम, घनश्याम, रामकली, ईशुलाल, नागेश्वर, युवराज, प्रहलाद के कथन में पाया कि सार्वजनिक स्थान पर शान्तिबाई और साक्षीगणों को आरोपी मदनलाल ने जाति गति अश्लील गालियां और जान से मारने की धमकी देना पाये जाने से आरोपी मदनलाल के विरुद्ध अपराध क्रमांक 112/14 अन्तर्गत धारा 294, 506 भा.दं.वि. एवं धारा 3(1)10 एस.सी./एस.टी.एक्ट के अन्तर्गत मामला पंजीबद्ध कर आरोपी मदनलाल को गिरफ्तार कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, 506 एवं धारा 3(1)10 एस.सी./एस.टी.एक्ट के तहत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।

(04) उर्पापण पर उभयपक्षों को सुना गया ।

(05) प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, 506 एवं 3(1)10 एस.सी./एस.टी.एक्ट का अपराध परिलक्षित होता है । उक्त धाराओं में से धारा 3(1)10 एस.सी./एस.टी.एक्ट माननीय विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से

प्रकरण को माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय, बालाघाट के न्यायालय में उपार्पित किया जाता है।

(06) आरोपी को धारा 207 द0प्र0सं0 के अनुसार अभियोग-पत्र की नकलें दी गईं।

(07) उपार्पण की सूचना लोक अभियोजक, बालाघाट व मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी महोदय, बालाघाट को भेजी जावे।

(08) प्रकरण में आरोपी जमानत पर होने उसे माननीय महोदय के न्यायालय के समक्ष दिनांक **08.10.2014** को ठीक पूर्वान्ह में 11.00 बजे उपस्थित रहने हेतु निर्देशित किया गया।

आदेश हस्ताक्षरित, दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

आदेश मेरे उद्बोधन पर
टंकित किया गया।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)